तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/2/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार दिनांक....21-3-25.... को पत्रावली पेश हो।	
21/3/25	पत्रावली पेश। ~~काफी~~ बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक – 28/3/25 को पेश हो।	
28/3/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस अन्तिम सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण की चरण संख्या 2 में अंकित भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में है जिस पर हम शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण करने के आदी है अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1853/1549 पर जबरदस्ती नींवे खोदने व निर्माण करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि उनके द्वारा हमारी खातेदारी भूमियों पर नीवें खोदकर आवास निर्माण कर लिया व कृषि स्वरूप नष्ट कर दिया उन्हे भविष्य में हटाया जाना मुशकिल होगा। व प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। उन्हे उक्त कृत्य करने से पाबंद किया जावे। बाद मनन बहस विवादित भूमिया प्रार्थीगण के संयुक्त खाते की भूमियॉ है जिन पर किसी प्रकार की दखलंदाजी करने का अप्रार्थीगण को हक व अधिकार नहीं है। विवादित भूमियॉ प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की होने से प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है व सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के हक में होने से एवं प्रार्थीगण अपूर्णीय क्षति होने की संभावना बनी हुई है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 1853/1549 वाके ग्राम विजयगढ के किसी भी भू–भाग पर निर्माण कार्य नहीं करे, कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट नहीं करें, प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें, ऐसा न तो स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	